भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3117

उत्तर देने की तारीख : 11.07.2019

एम.एस.एम.ई. को सहायता

3117. श्री डी. के. सुरेशः
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडेः
श्री विनायक भाऊराव राऊतः
श्री बैन्नी बेहननः
श्री गिरीश भालचन्द्र बापटः
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) देश के आर्थिक विकास की रीढ़ हैं और ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एम.एस.एम.ई. के लिए ऋण उपलब्धता एक बड़ी चुनौती है और यह अभी भी बैंकिंग क्षेत्र से ऋण की कमी का सामना कर रहा है और यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या एम.एस.एम.ई. के पास अपने संगठन के भीतर अत्यधिक आवश्यक वित्त वर्टिकल विकसित करने की क्षमता या पैसा नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उन्हें सही समय पर सही उत्पाद और वित्तपोषण दिए जाने तथा उन्हें बढ़ने में मदद करने की आश्यकता है और यदि हां, तो सरकार द्वारा एम.एस.एम.ई. क्षेत्र में उद्यमियों की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ पर्याप्त संख्या में एम.एस.एम.ई. स्थापित करने हेतु अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए कोई उपाय कर रही है और यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में प्रतिक्रिया क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री नितिन गडकरी)

(क) : जी, हां। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) देश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देकर और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का सृजन करके देश के आर्थिक विकास और प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के अनुसार 2016-17 में वर्तमान दरों पर भारत के सकल मूल्य वृद्धी (जीवीए) में एमएसएमई की हिस्सेदारी 31.8% और 2018-19 में भारत के कुल निर्यात में एमएसएमई उत्पादों की हिस्सेदारी 48.10% थी। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) (73वें दौर, 2015-16) के अनुसार एमएसएमई क्षेत्र कृषि के बाद सबसे अधिक 11.13 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार का अवसर प्रदान करता है।

(ख) से (ङ) : एमएसएमई मंत्रालय देश में एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है। इन योजनाओं और कार्यक्रमों में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), पारम्परिक उद्योगों के पुनरूत्थान के लिए निधि की योजना (स्फूर्ति), नवोन्मेष, ग्रामोद्योग और उद्यमिता संवर्धन की योजना (एस्पायर), एमएसएमई को वृद्धिशील ऋण के लिए ब्याज छूट योजना, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीटीएमएसई), सूक्ष्म और लघु उद्यम-कलस्टर विकास कार्यक्रम(एमएसई-सीडीपी),क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी और प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना (सीएलसीएस-टीयूएस) शामिल है। एमएसएमई मंत्रालय सम्पूर्ण देश में 2200 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से 15 नए प्रौद्योगिकी केन्द्रों (टीसी) की स्थापना करने और मौजूदा 18 टीसी के उन्नयन के लिए प्रौद्योगिकी केन्द्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी) का भी कार्यान्वयन करता है। यह कुशल श्रमशक्ति, आधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच और व्यवसायिक परामर्शी सेवाओं द्वारा एमएसएमई को सहयोग प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण देश में प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए 6,000 करोड़ रूपए की लागत से हब और स्पोक मॉडल में 20 नए प्रौद्योगिकी केन्द्रों और 100 विस्तार केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। यह निवेश प्रौद्योगिकी उन्नयन और इसे अपनाने में एमएसएमई क्षेत्र को सहायता प्रदान करेगा।

*****